

अधिसूचना
सं0 11/2016- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं0 20/2001-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 30 अप्रैल, 2001 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 318(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में "30%" अंको के स्थान पर "60%" अंक रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 20/2001-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 30 अप्रैल, 2001 भारत के राजपत्र, असाधारण, में, सा.का.नि. 318(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2001 में प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना सं.17/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, जो सा.का.नि.सं. 181(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई ।